न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 106/2025
जी.सी.एम.एस– 2025/323

अपीलार्थी :–

भल्लाराम पुत्र स्व. श्री किरतुरराम उम्र 72 वर्ष जाति विश्नोई निवासी काकेलाव, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. चौखाराम पुत्र स्व. श्री किरतुरराम उम्र 82 वर्ष
2. राणाराम पुत्र श्री चोखाराम उम्र 58 वर्ष

   जातियान विश्नोई निवासी टीकूनाडा, काकेलाव, तहसील व जिला जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामांतरकरण सं. 265, दिनाक 15.05.1972 जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश कमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 की पालना में स्वीकृत किया गया, को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री लाधुराम पुनिया (अपीलार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री नथाराम चौधरी, श्री सांगाराम चौधरी (प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 की ओर से)

<u>निर्णय</u> **दिनांक 15.07.2025**

1. यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत, विरूद्व कमशः (अ) आदेश कमांक 1185 दिनांक 11.05.1972, जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा ग्राम काकेलाव के भूमि ख.नं. 144, 145, 607, 163, 165 कुल रकबा 138–08 बीघा का नामांतरकरण आदेश दिया तथा उसके परिणाम स्वरूप (ब) नामांतरकरण सं. 265 ग्राम काकेलाव दिनांक 15.05.1972 को दर्ज किया गया। यह अपील न्यायालय जिला

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कलक्टर, जोधुपर के न्यायालय में दिनांक 22.02.2018 को पेश होने पर दिनांक 07.03.2018 को दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 06.10.2023 को अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर के न्यायालय में स्थानांतरित होने पर दर्ज हुई तथा दिनांक 16.07.2024 को अपर जिला कलक्टर (द्वितीय), जोधपुर में दर्ज हुई तथा स्थानांतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दिनांक 12.02.2025 को दर्ज रजिस्टर की गई, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

2. अपील मीमों का अवलोकन करने से जाहिर हुआ कि यह अपील तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 व नामांतरकरण सं. 265 ग्राम काकेलाव पर सरपंच ग्राम पंचायत काकेलाव द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.1972 के अपास्त करने हेतु पेश की गई है। अतः इसे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 225 के अंतर्गत माना जाता है।

3. अपील मीमों के साथ अपील पेश करते समय तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई थी, जिसका आक्षेप अपील दर्ज करते समय लगाया गया है। नामांतरकरण सं. 265 दिनांक 15.05.1972 की प्रमाणित प्रति की फोटोकापी पेश की गई है।

दिनांक 24.04.2025, 23.05.2025 एवं 20.06.2025 को पुनः अपील प्रकरण की बहस सुनी गई, बहस के दौरान अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुराम पुनिया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर बंटवारा आदेश क्रमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 की प्रमाणित प्रति दिनांक 12.02.2018 (नायब तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रमाणित) प्रतिलिपि रजिस्टर में इन्द्राज की हुई नहीं है, पेश की तथा रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया, जिसकी प्रति अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिलवाई गई।

4. अप्रार्थी राणाराम व चौखाराम की ओर से श्री नथाराम चौधरी, सांगाराम चौधरी व दिनेश चौधरी एडवोकेट्स ने दिनांक 31.07.2018 को वकालतनामा पेश किया तथा तहसीलदार, जोधपुर के पत्रांक 1824 दिनांक 26.04.2018 से नामांतरकरण सं. 265 की मूल प्रति प्राप्त हुई।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

5. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों अनुसार अपीलांट भलाराम व प्रत्यर्थी सं. 1 चौखाराम सगे भाई है। ग्राम काकेलाव के ख.नं. 144, 145, 163, 165, 607 कुल 138-08 बीघा भूमि के खातेदार किस्तुरराम पुत्र शिम्भुराम थे। इनके पिता किस्तुरराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का कोई पारिवारिक विभाजन का लेख्य पत्र निष्पादित नहीं किया तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कोई भूमि विभाजन किया तथा किस्तुरराम व अपीलार्थी ने तहसीलदार के पास जाकर नामांतरकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। प्रत्यर्थी सं. 01 चौखाराम, परिवार में किस्तुरराम का बडा पुत्र होने से राजकार्य हेतु पटवारी के पास जाते थे, इस दौरान चौखाराम ने पटवारी से मिलकर बाले बाले अपने पुत्र राणाराम को किस्तुराराम का बेटा बताकर तथा भूमि का सहखातेदारान के बीच एग्रीमेंट से विभाजन कर लेना बताते हुए नामांतरकरण करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा राणाराम के नाम नामांतरकरण गलत दर्ज करवा लिया। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 11.05.1972 को तहसीलदार के समक्ष पेश किया जिसमें संयुक्त परिवार के सदस्यों ने आपस में एग्रीमेंट कर लेने का कथन किया है तथा चौखाराम ने ख.नं. 145 रकबा 32-07 बीघा व ख.नं. 607 रकबा 25 बीघा तथा राणाराम के नाम ख.नं. 163 रकबा 8-01 बीघा, ख.नं. 165 रकबा 11-12 बीघा बंटवारे में देना दर्शाया है। यह एग्रीमेंट किस्तुरराम द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53 में सिर्फ दर्ज सहखातेदारान के बीच ही सहमति से बंटवारा हो सकता है, अन्य को दावा करना पडता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.1972 से बिना किसी आधार के किस्तुरराम की भूमि चौखाराम व राणाराम को दे दी है, जो विधि, न्याय व अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार के समक्ष एग्रीमेंट पेश ही नहीं हुआ है। राणाराम व चौखाराम रिकॉर्ड में दर्ज सहखातेदारान नहीं है। अतः आपसी सहमति से बंटवारा नहीं किया जा सकता। राणाराम मृतक खातेदार किस्तुरराम का पुत्र नहीं है जिसको जालसाजी से किस्तुरराम का पुत्र बताकर भूमि का नामांतरकरण दर्ज करने का आवेदन पेश किया गया है जिसकी तहसीलदार ने जांच व तस्दीक नहीं की है, जो प्रारंभ से ही शून्य है।

उक्त पारिवारिक संपति में चौखाराम का, किस्तुरराम के समय 1/3 हिस्सा ही बनता था, जिसमें उसके हिस्से में 46-03 बीघा आती है, जबकि चोखाराम ने खुद के नाम 57-05 बीघा तथा पुत्र राणाराम के नाम 19-12 बीघा अर्थात् कुल 76-17 बीघा भूमि नामांतरकरण से दर्ज करवा ली है तथा अपीलार्थी के नाम केवल मात्र 24-12

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बीघा भूमि ही दर्ज की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश जालसाजी से तथा झूठे तथ्य बताकर प्राप्त किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर, आदेश दिनांक 11.05.1972 व नामांतरकरण सं. 265 निरस्त किया जावे।

6. अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अपील के साथ नामांतरकरण सं. 265 की प्रति तथा आदेश कमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 की प्रति उपलब्ध कराने हेतु पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2017 की फोटो प्रति पेश की है, परंतु आदेश दिनांक 11.05.1972 की प्रति अपील के साथ दिनांक 22.02.2018 को पेश नहीं की गई है, जबकि दिनांक 24.04.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 11.05.1972 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 12.02.2018 को प्राप्त हो चुकी थी।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

8. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुराम पूनिया ने अपील मीमों में अंकित कथनों की पुनरावृति करते हुए दिनांक 24.04.2025, 23.05.2025 एवं 20.06.2025 को पुनः बहस करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित बंटवारा आदेश की पालना में सरपंच ग्राम पंचायत काकेलाव ने दिनांक 15.05.1972 को अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 265 स्वीकृत किया है, जो गलत है। नामांतरकरण सं. 265 के कॉलम सं. 5 में सिर्फ किस्तुर पुत्र सिंभू खातेदार अंकित है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आपसी सहमति से बंटवारा सिर्फ सहखातेदारों (Co-tenants) के बीच ही किये जाने का प्रावधान है। किस्तुर पुत्र सिंभु की एकल खातेदारी थी। पिता के जीवनकाल में संताने बंटवारा करवाना चाहती है, तो बेचान दस्तावेज के जरिये हो सकता है। पैतृक संपति में हिस्सा होने पर बंटवारा हो सकता है। इस प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष कोई पारिवारिक बंटवारा पेश नहीं हुआ है। राणाराम मृतक किस्तुर का पुत्र नहीं है। यह कार्य चौखाराम ने परिवार का मुख्य कार्यकर्ता होने की हैसियत से अपने पुत्र राणाराम को किस्तुर का पुत्र बताकर कराया है, जो फ्रॉड है तथा Fraud से 19 बीघा जमीन ले ली।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

श्री पूनिया ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2012(1) RRT 658 (गंगासहाय बनाम छजू व अन्य), RRT 2013(1) 436 (राजस्थान राज्य बनाम देवाराम व अन्य) 1978 RRD 44 (जगदीश बनाम मनभर) पेश किये।

9. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उक्तानुसार बहस के प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सांगाराम चौधरी ने दिनांक 24.04.2025 को बहस करते हुए कथन किया कि प्रथम भू प्रबंध की कार्यवाही से ही किस्तुर ख.नं. 83, 85, 86, 1017, 1018, 84, 104 का खातेदार था। अपीलाधीन नामांतरकरण सरपंच, ग्राम पंचायत काकेलाव द्वारा पारित किया गया है। अतः इसकी अपील उपखण्ड अधिकारी को की जानी चाहिए थी। कलक्टर को यह अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। आदेश क्रमांक 1158 दिनांक 11.05.1972 की प्रमाणित प्रति ही पेश नहीं की है। अतः दिनांक 11.05.1972 के आदेश की अपील नहीं सुनी जा सकती।

इसके अतिरिक्त इनका यह भी कथन है कि धारा 5 म्याद कानून के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 व 3 में दिनांक 12.02.2018 को आदेश दिनांक 11.05.1972 की प्रति प्राप्त करने का अंकन है, परंतु अपील के साथ उसे दिनांक 22.02.2018 को पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निरंतर बहस करते हुए कथन किया कि पिता पारिवारिक बंटवाडे में अपने जीवनकाल में ही अपनी संतानों को भूमि बांट सकता है तथा पुत्र व पौतों को भी भूमि दे सकता है। भूमि कम ज्यादा भी हो सकती है। इस प्रकरण में पारिवारिक व्यवस्था दी गई है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि किस्तुरराम के फौत होने पर ख.नं. 83, 85 (नया ख.नं. 144) का भी नामांतरकरण हुआ है। उसकी जमाबंदी पेश नहीं की है। इसमें अपीलांट का हिस्सा दर्ज किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में गलत कथन किये है। 1972 की घटना की अपील 2018 में अर्थात् 45 वर्ष बाद अपील पेश की है। अपीलांट बालिग थे। खेती कर रहे थे। देरी का कारण संतोषजनक नहीं है। अपील म्याद बाहर है। संधारण योग्य नहीं है। भारी जुर्माना के साथ खारिज की जावे।

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होते है। अपीलांट ने जमीन की जमाबंदियां पेश नहीं की है। अपील ख़ारिज की जावे।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

10. उक्तानुसार दिनांक 24.04.2025 को बहस एवं 23.05.2025, 20.06.2025 को पुनः बहस उभय पक्षकारान की सुनने के पश्चात् अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के संलग्न आदेश क्रमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 की प्रति पेश की, जिसकी प्रति प्रत्यर्थी अधिवक्ता को दी गई। इस प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 11.05.1972 की नकल लाकर अपने वकील को दे दी थी, परंतु आदेश की नकल की जगह भूल से नकल प्रति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति पेश कर दी तथा आदेश की प्रति पेश करने से रह गई, जिसकी जानकारी बहस के दौरान हुई। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश की नकल को रिकॉर्ड पर लिया जावे।

11. उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 पर बहस सुनी गई।

a) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपील सांविधिक अधिकार है, अपीलांट का पैतृक संपति में जन्म से अधिकार है, जिस आदेश से विभाजन किया गया है, वह फ्रॉड है। जैसा कि RRT 2012 (1)-658 गंगासहाय बनाम छज्जू व अन्य में निर्धारित किया है। फ्रॉड में म्याद के बिंदु पर अपील ठुकराई नहीं जानी चाहिए परंतु व्यापक व उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए अपील का न्याय निर्णयन गुणावगुण पर करना चाहिए। बंटवारा के समय किस्तुरराम के अतिरिक्त कोई खातेदार नहीं था। अतः बिना सहखातेदारान के किया गया बंटवारा विधि विरूद्ध है, वॉईड है तथा Metes & Bounds के आधार पर नहीं है। राणाराम पुत्र किस्तुरराम गलत लिखा है। सही राणाराम पुत्र चोखाराम है। इसका विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है कि राणाराम स्वर्गीय किस्तुरराम का पुत्र नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपील के साथ आदेश की प्रति पेश नहीं करना एक डिफेक्ट है, जैसा कि नियम 30/46 राजस्व कोर्ट मेन्यूअल पार्ट ।। में वर्णित है।

अपील पेश करते समय भूल से नकल प्राप्ति का प्रार्थना पत्र की प्रति पेश कर दी थी। अपील की बहस के दौरान उक्त डिफेक्ट ध्यान में लाए जाने पर आदेश की प्रति पेश कर डिफेक्ट दूर कर दिया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अपीलांट के वकील की भूल का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जाना चाहिए। यह सद्भाविक भूल है जिसे माफ किया जावे।

SM
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

b) प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट ने अपील के साथ आदेश की प्रति पेश नहीं की है। अब आदेश 41 नियम 27 के तहत दस्तावेज पेश नहीं कर सकते है। यह डिकी की अपील नहीं है बल्कि आदेश की अपील है जिसमें आदेश 41 नियम 27 के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी नहीं है तथा सहयोगी अधिवक्ता की भूल लिख देना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। अपीलार्थी ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 12.02.2018 को होना धारा 5 के प्रार्थना पत्र में लिखा है परंतु आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को देखने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र झूठा सिद्ध हो जाता है।

अपील पेश होने पर न्यायालय के लिपिक की रिपोर्ट में अपीलाधीन आदेश पेश नहीं होना अंकित है। नियम 30/46 राजस्व कोर्ट मेन्यूअल–।। के प्रावधान लागू नहीं होते है। बहस के स्तर पर अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

प्रत्यर्थी गण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि पिता अपनी संपति पारिवारिक सहमति में किसी को भी दे सकता है। अपीलांट अनपढ नहीं है। हस्ताक्षर करता है। अतः अपील संधारण योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जावे।

c) यह न्यायालय सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण करना, अपील का न्याय निर्णयन करने से पहले उचित मानता है।

i. प्रार्थना पत्र के साथ जो आदेश कमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 की प्रति पेश की है, वह वही दस्तावेज है जिसकी यह अपील पेश की गई है। आदेश 41 नियम 1 के प्रावधानानुसार, प्रत्येक अपील मीमों के साथ, जिस आक्षेपित आदेश की अपील पेश की जा रही है, उसकी प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से अपील मीमों के साथ संलग्न पेश की जायेगी। न्यायालय के रीडर ने अपनी रिपोर्ट में अपीलाधीन आदेश की प्रति पेश नहीं होना अंकित किया है, परंतु अपनी रिपोर्ट में उक्त कमी की पूर्ति करने हेतु अपील प्रस्तुतकर्ता को सूचित नहीं किया है। अपील मीमों दिनांक 22.02.2018 के संलग्न फॉर्म सं. 3 में नामांतरकरण सं. 265 व तहसीलदार, जोधपुर के समक्ष दिनांक 15.12.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जिसमें अपीलाधीन आदेश कमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 की प्रति पटवारी से दिलवाने हेतु निवेदन किया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है, की फोटोप्रति पेश नहीं की है, जो प्रस्तुत की जानी आज्ञात्मक थी। दिनांक 24.04.2025 को बहस के दौरान इस त्रुटि का आक्षेप किया जाने पर दिनांक 24.04.2025 को अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.1972 को रिकॉर्ड पर लेने हेतु निवेदन किया है।

ii. हमने आदेश 41 नियम 27 का अवलोकन किया। यह नियम अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य को पेश किये जाने से संबंधित है, जिन्हे अपील स्तर पर ग्रहण करने के लिए उप नियम (क), (कक) व (ख) में विहित परिस्थितियां/शर्ते पूरी करना आवश्यक है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि आदेश 41 नियम 1 के तहत अपील मीमों के साथ आक्षेपित आदेश के रूप में प्रस्तुत किया जाना वाला दस्तावेज है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण है, जिसे न्यायहित में यह न्यायालय प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 1 के अंतर्गत पेश होना सुमार करता है तथा प्रकरण के निस्तारण हेतु यह दस्तावेज आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई त्रुटि को दूर करने तथा अपील का न्याय निर्णयन करने हेतु प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 को रिकॉर्ड पर लिया जाता है तथा इसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.1972 के रूप में ग्रहण किया जाता है।

उक्त दस्तावेज की प्रति प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता को दिनांक 24.04.2025 को ही उपलब्ध करा दी गई थी तथा उस पर दिनांक 23.05.2025 को एवं 20.06.2025 को पुनः विस्तृत बहस उक्त पैरा 11(b) अनुसार सुनी जा चुकी है।

12. अपील का मेरिट पर परीक्षण करने से पूर्व, अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु अपील मीमों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 का निस्तारण करना आवश्यक है। विलंब को क्षम्य करने के परीक्षण के साथ साथ प्रकरण का गुणावगुण आधार पर भी परीक्षण किया जा रहा है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

i. अपीलांट ने यह अपील दिनांक 22.02.2018 को तहसीलदार, जोधपुर द्वारा आराजी विभाजन हेतु पारित आदेश कमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 बाबत आराजी विभाजन तथा आदेश दिनांक 15.05.1972 जिसके द्वारा तहसीलदार के उक्त ओदश दिनांक 11.05.1972 की पालना में दर्ज नामांतरकरण सं. 265 ग्राम काकेलाव सरपंच, ग्राम पंचायत काकेलाव द्वारा पारित किया गया है, को फॉड के आधार पर आधारित होने से, दोनों को अपास्त करने हेतु पेश की है।

अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.1972 को पारित करते समय वह उपस्थित नहीं था तथा उसे आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलाधीन आदेश बाले-बाले ही पारित किया गया है। गैर कानूनी रूप से की गई प्रविस्टि के आधार पर जब प्रत्यर्थी 1, चोखाराम अपीलार्थी के आधे हिस्से के कब्जे में दखल करने लगा तब अपीलार्थी ने भूमि का नाप, सीमांकन व बंटवारा करने को कहा, तो प्रत्यर्थी 1 ने मना कर दिया। जब अपीलार्थी दिनांक 12.12.2017 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकले लेने गया, तो पटवारी ने बताया कि म्यूटेशन सं. 265 से प्रत्यर्थी 1, चोखाराम व प्रत्यर्थी 2 राणाराम के नाम 76 बीघा भूमि दर्ज है, जिसकी अलग जमाबंदी बनती है, तब पटवारी ने नामांतरकरण की नकल तहसीलदार के आदेश से ही देने का कहते हुए नकल देने से मना कर दिया। तब तहसीलदार, जोधपुर को आदेश दिनांक 11.05.1972 की नकल पटवारी से दिलवाने हेतु अर्जी दी, जिस पर आदेश दिनांक 15.12.2017 को देने पर, दिनांक 12.02.2018 को नकल प्राप्त हुई, जिसे अपीलांट ने अपने वकील को दिखाया, तब सर्वप्रथम अपीलांट को दिनांक 11.05.1972 के आदेश की नामांतरकरण की प्रथम बार जानकारी हुई तथा अपील तैयार कर पेश की गई है। देरी को माफ किया जावे। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपील करना अपीलांट का सांविधिक अधिकार है। पैतृक संपति में हिस्से से अधिक भूमि प्रत्यर्थीगण को बाले-बाले देकर फॉड किया गया है। राणाराम को गलत रूप से किरतुर का पुत्र बताया है। अपीलार्थी ने कभी भी इकरारनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये है। अपीलांट तहसीलदार के समक्ष दिनांक 11.05.1972 को उपस्थित नहीं हुआ है तथा बाले-बाले बंटवारा किया गया है। फर्जीवाडा की जानकारी से अपील अंदर म्याद पेश की गई है। न्यायहित में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा अपील स्वीकार की जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ii. अपीलांट के उक्त कथनों/तर्कों के विपरीत प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि 45 वर्ष बाद यह अपील पेश की है। अपीलांट मौके पर काश्त करता है। अपीलांट का रिकॉर्ड में अलग से खाता है। किरतुरराम के फौत होने पर नामांतरकरण अपीलांट के नाम भी दर्ज किया गया है। मौके पर वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार कब्जा काश्त है। राणाराम का चौखाराम का पुत्र होने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। आपसी सहमति से बंटवारा किया है। कोई फ्रॉड नहीं किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते है। अपील म्याद बाहर पेश की है, जिसे खारिज किया जावे।

iii. तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1158 दिनांक 11.05.1972 की प्रति का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह आदेश पूर्व में प्रिंटेड आवेदन पत्र, पर ही पारित किया गया है। इस आवेदन पत्र पर खातेदार किस्तुर पुत्र सिम्भुजी विश्नाई, चोकाराम (प्रत्यर्थी 1), राणाराम (प्रत्यर्थी 2), भलाराम (अपीलांट) द्वारा हस्ताक्षरित /अंगूठा निशान है जिसमें पूर्व प्रिंटेड है कि प्रार्थी एवं उसके संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों के नाम शेड्युल में दर्ज भूमि पर कब्जा काश्त है, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में एक ही खाता सं. 21, 23 में है। प्रार्थी एवं परिवार के अन्य को–शेयरर्र (संयुक्त हिस्सेदार) सदस्य बाहमी रजाबंदी से अलग–अलग हो गये हे, संयुक्त परिवार की भूमि का बंटवारा शेड्युल में दर्शाये अनुसार आपस में एग्रीमेंट से कर लिया है। शेड्युल इस प्रकार है:–

क्र. सं.	शेड्युल	ख.नं.		रकबा (बीघा में)
		पुराना	नया	
1	किस्तुर पुत्र सिंभू	83, 85	144	36–14
2	चोखाराम पुत्र किस्तुर	86 1118	146 607	32–07 25–00 कुल 57–05
3	राणाराम पुत्र किस्तुर	84 104	165 163	11–12 8–02 कुल 19–14
4	भलाराम पुत्र किस्तुर	1117	606	24–07

अतः शेड्युल में प्रार्थी की जो भूमि दर्शायी गई है, उसका नामांतरकरण नियमानुसार प्रार्थी के नाम पंजीयन करवाने की कृपा करावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी काकेलाव ने रिपोर्ट इस प्रकार अंकित की है:-

"असल श्रीमान तहसीलदार साहब, जोधपुर की सेवा में पेश कर निवेदन है कि- इस बंटवाडा में कोई नाबालिक नहीं है, मौके पर बंटवाडा के माफिक काश्त करते है।

ह0 09.05.1972
पटवारी काकेलाव

इस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नें इस प्रकार पृष्ठांकन किया है--

O.K. - 1185/11-05-1972

"पटवारी हल्का काकेलाव के पास भेजकर लेख है कि प्रार्थी ने बंटवाडा कर लिया है। नामांतरकरण भरा जावे।

ह0 11.05

यह प्रार्थना पत्र किसने पेश किया तथा उनकी पहचान किसने की, इसका कोई पृष्ठांकन नहीं है तथा न अलग से पत्रावली है।

iv. उक्त आदेश की पालना में ग्राम काकेलाव का नामांतकरण सं. 265 दिनांक 15.05.1972 को पटवारी काकेलाव द्वारा दर्ज किया तथा प्रार्थना पत्र के शेड्यूल में अंकित अनुसार भूमि अपीलांट भलाराम, प्रत्यर्थी 1, चोखाराम व प्रत्यर्थी 2 राणाराम तथा किस्तुर के नामांतरकरण कॉलम सं. 11 व 12 में अंकित की, जिसकी जांच भू.अ. नि. बिसलपुर द्वारा दिनांक 12.05.1972 को की गई तथा दिनांक 15.05.1972 को सरपंच ग्राम पंचायत काकेलाव द्वारा स्वीकृत किया गया है।

v. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरकरण की अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने बाबत आक्षेप किया है। अतः आक्षेप का विधिक परीक्षण किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायतों को सभी प्रकार के नामांतरकरण निस्तारित करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 की शक्तियां अधिसूचना कमांक एफ-8(15)Rev.B/57 दिनांक 11.09.1957 से अधिकृत किया गया तथा ऐसे पारित आदेश के विपरीत अपीले उक्त अधिनियम 1956 की धारा 75(1)(अ) के अंतर्गत, जिला कलक्टर को प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया है। अधिसूचना कमांक एफ-6(23)Rev.Gr.4/73 दिनांक 21.06.1974 से भूमि आवंटन व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के नामांतरकरण निस्तारित करने की शक्तियां ग्राम पंचायतों से वापस ले ली गई तथा आदेशों की अपीले भू-अभिलेख अधिकारी को धारा 75(1)(d) के अंतर्गत पेश करने के आदेश जारी हुए।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

इसी प्रकार अधिसूचना क्रमांक एफ5(21)Rev./Gr.4/35 दिनांक 04.09.1982 से ग्राम पंचायतों को सिर्फ निर्विवादित नामांतरकरणों का निपटारा धारा 135(1) तक सीमित किया गया तथा अपीले कलक्टर को करने की व्यवस्था की गई। अधिसूचना क्रमांक एफ-5(21)(ग्रुप-4)/80/108 दिनांक 09.11.1983 से अपीले उपखण्ड अधिकारी को पेश करने की व्यवस्था की गई, जो दिनांक 09.11.1983 से प्रभावशील है।

SBCWP No. 157/1979 (Shyama vs. बुद्धदान) 1987 RRD 106 (HC) दिनांक 10.12.1986 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त अधिसूचना दिनांक 11.09.57 को इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया कि धारा 135(2) में विवादित मामलों का निपटवारा तहसीलदार द्वारा भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से किया जाता है जिस हेतु तहसीलदार को अधिसूचना क्रमांक एफ-1(236)Rev-D/56 दिनांक 27.10.1956 से भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थी, जो सिर्फ अधिनियम में वर्णित अधिकारियों को ही प्रत्यायोजित की जा सकती है तथा धारा 260 में ग्राम पंचायत का नाम नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 10.12.1986 से ग्राम पंचायतों द्वारा पारित सभी नामांतरकरण पर आदेश अमान्य हो गये। इस गंभीर चुनौती को कानूनी मान्यता देने हेतु उक्त अधिनियम 1956 की धारा 260(1)(b) में भूतलक्षी प्रभाव से वर्ष 1988 में संशोधन करके शब्द "Shall to the exclusion of such officer or authority be performed." जोडे गए। "Shall be and shall always be deemed to have been substituted."शब्द जोडे गये।

उक्त संशोधन की पुष्टि Budhram Vs. BOR (2005 RRD 97) में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा की गई तथा श्यामा बनाम बुद्धदान में पारित निर्णय को अपास्त किया।

उक्त विधिक स्थिति से स्पष्ट है कि दिनांक 15.05.1972 को, हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 265 पर निर्णय पारित करने का ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में था। जिसकी अपील जिला कलक्टर को होती थी।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतः अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 265 पर पारित आदेश दिनांक 15.05.1972 की अपील सुनने हेतु यह न्यायालय सक्षम है। दिनांक 09.11.1983 की अधिसूचना से मूल अधिनियम में कलक्टर को दी गई शक्तियों का प्रत्यायोजन मात्र उपखण्ड अधिकारी को किया गया है। हस्तगत प्रकरण में मूल अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित आराजी विभाजन के आदेश दिनांक 11.05.1972 के विरूद्ध धारा 225 के तहत पेश की है। अगर धारा 225 के तहत अपील स्वीकार हो जाती है तथा बंटवारा आदेश दिनांक 11.05.1972 अपास्त हो जाता है, तो नामांतरकरण सं. 265 पर पारित आदेश दिनांक 15.05.1972 स्वतः ही व्यर्थ (Redundant) हो जाता है। अतः प्रत्यर्थीगण द्वारा उठाया गया एतराज अस्वीकार किया जाता है।

vi. (a) वर्तमान में ग्राम काकेलाव का ख.नं. 606 रकबा 3.8769 है. खाता सं. 515 में अपीलांट भलाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है।

(b) ग्राम काकेलाव का ख.नं. 607, रकबा–4.0469 है., जो बंटवारा में प्रत्यर्थी कोयल, मीरा, सुगनी, सीना पुत्री चोखाराम, भभूतराम, राणाराम, लूम्बाराम, सहीराम पुत्र चोखाराम तथा हीरों देवी पत्नी चोखाराम की खातेदारी में दर्ज है।

(c) नये राजस्व (काकेलाव से सृजित) ग्राम जम्भेश्वर नगर का ख.नं. 144 रकबा 36–14 बीघा (5.9812 है.) जो अपीलाधीन बंटवारा में किस्तुर को दिया था, वर्तमान में भलाराम पुत्र किस्तुराराम (अपीलांट) 1/2 हिस्सा तथा कोयल, मीरा, सुगनी, सीना पुत्री चोखाराम, भभूतराम, राणाराम, लूम्बाराम, सहीराम पुत्र चोखाराम तथा हीरों देवी पत्नी चोखाराम–1/2 हिस्सा (प्रत्येक का 1/18 हिस्सा) की खातेदारी में दर्ज है।

(d) ग्राम जम्भेश्वर नगर का ख.नं. 145 रकबा 5.2204 है. उपर्युक्त (b) में वर्णित सहखातेदारान के नाम है अर्थात चोखाराम के वारिसान के नाम दर्ज है।

(e) ग्राम जम्भेश्वर नगर का ख.नं. 163 रकबा 1.3031 है. तथा ख.नं. 165 रकबा 1.8777 है. वर्तमान में प्रत्यर्थी सं. 2 राणाराम पुत्र किस्तुरराम के नाम खातेदारी में दर्ज है।

vii. उपर्युक्त (a) से (e) तक में अंकित अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि ख.नं. 163 (पुराना 104) तथा ख.नं. 165 (पुराना 84) वर्तमान में राणाराम पुत्र किस्तुरराम के नाम दर्ज है, परंतु ख.नं. 607 एवं 145 जो बंटवारा दिनांक 11.05.1972 के दौरान चोखाराम पुत्र किस्तुरराम को बंट में दिया था, वह वर्तमान में चोखाराम के वारिसान के नाम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दर्ज है, जिसमें राणाराम पुत्र चोखाराम का 1/9 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार ख.नं. 144 जो मूल बंटवारा में किस्तुर पुत्र रिंभु के बंट में दिया था, वह वर्तमान में किस्तुर के पुत्र चोखाराम के वारिसान के नाम 1/2 हिस्सा तथा अपीलांट भलाराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि किस्तुर के दो पुत्र चोखाराम व भलाराम (अपीलांट) है तथा राणाराम, चोखाराम का पुत्र है तथा मूल बंटवारा दिनांक 11.05.1972 में राणाराम को किस्तुर का पुत्र गलत रूप से बताया है या राणाराम, चोखाराम का पुत्र नहीं है, फिर भी चोखाराम के वारिसान के रूप में ख. नं. 607 व 144, 145 में हिस्सेदार वर्तमान में दर्ज है। प्रत्यर्थी ने अपीलांट द्वारा अपील मीमों में लगाए गये इस आरोप का कि, राणाराम, किस्तुर का पुत्र नहीं होकर चोखाराम का पुत्र है, का खण्डन किसी प्रकार के साक्ष्य से प्रत्यर्थी ने नहीं किया है जबकि इसे साबित करने का भार प्रत्यर्थी पर स्थानांतरित हो गया था। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या राणाराम का किस्तुरराम का पुत्र होना संदेहास्पद है। अगर राणाराम, किस्तुर का पुत्र है, तो चोखाराम की आराजी में उपरोक्तानुसार उसका नाम किस आधार पर पुत्र बताकर दर्ज किया है। अतः राणाराम का चोखाराम का पुत्र होना प्रथम दृष्ट्या साबित होने से राणाराम, किस्तुराराम की कुल आराजी में से सीधे किस्तुर से हक नहीं मांग सकता है, हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने पिता चोखाराम के हिस्से में से हिस्सा मांग सकता है। (धारा 8, 9, 10 एवं 19 H.S.A. 1956)

viii. किस्तुर के नाम कुल आराजी 140-07 बीघा कॉलम 6 नामांतरकरण सं. 265 के अनुसार है। पिता के जीवनकाल में पुत्र एवं पौत्र पैतृक संपति में हिस्सा मांग सकते है तथा बंटवारा आराजी का करवा सकते है। इनका अभिलेखों में दर्ज होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इनका हक हिस्सा जन्म से ही निहित हो जाता है। अभिलेखों में दर्ज करना मात्र औपचारिकताएं है। विधि सिर्फ टिनेन्सीज का सृजन एवं घोषणा करती है। विधि में सृजित अधिकारों को मात्र रिकॉर्ड में अभिलिखित नहीं करने से ही समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा ही मत 1999 RRD 420 (हरफूल बनाम हरला) तथा 1999 RRD 327 (रामेश्वरलाल बनाम सुंदर में) व्यक्त किया गया है। अतः राणाराम पैतृक संपति में अपने पिता चोखाराम की हिस्से की संपति में से चोखाराम के अन्य वारिसान की पारस्परिक स्थिति के संदर्भ एवं हिस्सो तक ही प्राप्त कर सकता है। अपीलांट कुल आराजी में से अपना 1/3 हिस्सा मानता है, जिससे यह न्यायालय

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सहमत है। ऐसी स्थिति में किरतुर, चोखाराम व भलाराम प्रत्येक के हिस्से में लगभग 46–16 बीघा भूमि आती है। किरतुर ने अपने हिस्से में 37–02 बीघा, चोखा को 58–01 बीघा, राणा को 19–19 बीघा व भलाराम को 25–05 बीघा भूमि बंट में दी है, जो आनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक पारस्परिक विचलन (Deviation) है। चोखाराम को अधिकतम 46–16 बीघा भमि बंट में आती है परंतु चोखाराम को 58–01 बीघा तथा उसके पुत्र राणाराम को 19–19 बीघा अर्थात् चोखाराम को 78 बीघा भूमि दी गई है, जो देय हिस्से से 31–04 बीघा अधिक है। इसके विपरीत अपीलांट को 46–16 बीघा भूमि बंट में आती है, परंतु उसे मात्र 25–05 बीधा भूमि दी गई है, जो 21–11 बीघा कम है। बंटवारा मीट्स एवं बाउंडस के आधार पर किया जाता है, जिसमें भूमि की किस्म, उपजाउपन, भूमि की आधारभूत विकास की संरचनाओं के परिप्रेक्ष्य में स्थिति, भूमि पर निर्माण/विकास कार्यों पर किया गया विनिवेश इत्यादि आधारभूत कारकों को विभाजन के समय ध्यान में रखना पडता है, परंतु अपीलाधीन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश में एवं प्रार्थना पत्र/इकरारनामा में ऐसा कोई न्यायसंगत विवरण अंकित नहीं है, जिससे सहखातेदारों को मध्य वितरित की गई भूमि में इतने अधिक विचलन को न्यायिक ठहराया जा सके। अतः बंटवारानामा में अंकित हिस्से असंगत (Disproportionate) है तथा ऐसे इकरारनामा को युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता तथा प्रत्यर्थीगण ने साक्ष्य से आरोपों का खण्डन भी नही किया है। अपीलांट स्वयं इस इकरारनामा को निष्पादित करने से इंकार कर रहा है तथा प्रत्यर्थी चोखाराम द्वारा जालसाजी द्वारा तैयार कर स्वयं के नाम व पुत्र के नाम पटवारी से मिलावट करके बंटवारा करना बता रहा है तथा यह भी कथन है कि वह तहसीलदार, जोधपुर के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था। तहसीलदार, जोधपुर ने ऐसा कोई पृष्ठांकन अंकित नहीं किया है कि किस्तुर, चोखाराम, राणाराम व भलाराम ने उनके समक्ष उपस्थित होकर, इकरारनामा में अंकित इबारत को स्वीकार किया है तथा अमुक व्यक्ति ने इन चारों की पहचान की है। अतः उक्त तथ्यात्मक विवरण से स्पष्ट है कि आक्षेपित बंटवारा आदेश कमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 करते समय राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 तक में अंकित प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तथा उक्त बंटवारा दिनांक 11.05.1972 व उसकी पालना में स्वीकृत नामांतरकरण सं. 265 दिनांक 15.05.1972 की जानकारी अपीलांट को

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दिनांक 12.02.2018 से होना साबित नहीं है। प्रत्यर्थी ने साक्ष्य पेश कर अपीलांट के अभिकथनों का खण्डन नहीं किया है।

ix. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

1. RRT 2012(1) 658 (गंगा सहाय बनाम छज्जू)
2. RRT 2013(1) 436 (राजस्थान राज्य बनाम देवाराम व अन्य)
3. 1978 RRD 44 (जगदीश बनाम मनभर), का सम्मान के साथ अवलोकन किया। जो इस अपील के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में चस्पा होते है तथा इनमें प्रतिपादित सिद्धांतों से यह न्यायालय सहमत है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेरिट पर स्वीकार योग्य है तथा देरी कन्डोन योग्य है।

13. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद पेश होना सुमार की जाती है तथा अपील मेरिट पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है।

14. उपरोक्त पैराज 12 एवं 13 में किये गये विस्तृत तथ्यात्मक व विधिक विश्लेषण अनुसार यह अपील स्वीकार योग्य है। इन तथ्यों की पुनरावृति करने का कोई औचित्य नहीं है तथा अपील का अंतिम निस्तारण करने हेतु किया गया उपरोक्तानुसार विश्लेषण व विवेचन पर्याप्त है।

15. अतः अपीलाधीन बंटवारा आदेश क्रमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 अपास्त योग्य है, फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 को अपास्त किया जाता है।

16. इसी प्रकार अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 265 ग्राम काकेलाव दिनांक 15.05.1972 भी अपास्त योग्य है क्योंकि यह नामांतरकरण उक्त बंटवारा आदेश क्रमांक 1185 दिनांक 11.05.1972 की पालना में दर्ज किया गया था। चूंकि आधार आदेश दिनांक 11.05.1972 को अपास्त किया जा चुका है, अतः पारिणामिक (Consequential) नामांतरकरण सं. 265 दिनांक 15.05.1972 में दर्ज इन्द्राज तथा उसके परिणामस्वरूप पश्चातवर्ती किये गये समस्त अभिलेखीय इन्द्राज स्वतः ही अविधिक होने से शून्य है। अतः नामांतरकरण सं. 265 पर पारित आदेश दिनांक 15.05.1972 को अपास्त करने हेतु

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रस्तुत अपील स्वीकार करने योग्य होने से अपील स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण सं. 265 पर पारित आदेश दिनांक 15.05.1972 को अपास्त किया जाता है तथा पश्चात्वर्ती समस्त इन्द्राज गैर कानूनी घोषित करते हुए अपास्त किये जाते है।

17. तहसीलदार कुडी भगतासनी को आदेश दिये जाते है कि नामांतरकरण सं. 265 दिनांक 15.05.1972 ग्राम काकेलाव में अंकित सभी खसरा सं. की भूमि श्री किस्तुर पुत्र सिंभू विश्नोई निवासी काकेलाव के वर्तमान विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नियमानुसार हिस्सा खोलते हुए संयुक्त खातेदारी. में पुनः दर्ज करे।

18. उक्तानुसार इन्द्राज के पश्चात् सभी सहखातेदारान अपनी सुविधानुसार अगर इच्छुक है तो नए सिरे से विधि में उपलब्ध प्रावधानानुसार आक्षेपित आराजी का विभाजन करवाने हेतु स्वतंत्र है।

19. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख सुरक्षित तरीके से तहसीलदार कुडी भगतासनी, जिला जोधपुर को पुनः लौटाया जावे।

20. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर